

कार्यालय वन मंडलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल कटनी

फोन नंबर 07622-227417 (कार्यालय), Email-dfotkatn@mp.gov.in

महाराणा प्रताप वार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 07, जबलपुर रोड, झिंझरी कटनी (म0प्र0) – 483501

वन अपराध में जप्त किये गये एवं अंतिम रूप से राजसात वाहन की नीलामी हेतु सील बंद

निविदा की विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन मण्डल (सामान्य) कटनी के अंतर्गत अंतिम रूप से राजसात वाहनों का जो जहाँ है जिस हालत में है, के आधार पर नीलामी, सील बंद लिफाफे के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर निर्वर्तन किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है:-

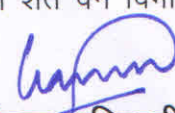
निविदा	निविदा खोलने का स्थल	फार्म जमा करने की तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	4	5
प्रथम निविदा	कार्यालय (सामान्य) वन मंडल कटनी	29.07.2025 अपरान्ह 01:00 बजे तक	29.07.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक
द्वितीय निविदा	कार्यालय (सामान्य) वन मंडल कटनी	30.07.2025 अपरान्ह 01:00 बजे तक	30.07.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक
तृतीय निविदा	कार्यालय (सामान्य) वन मंडल कटनी	31.07.2025 अपरान्ह 01:00 बजे तक	31.07.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक

प्रत्येक निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट द्वारा वनमंडलाधिकारी, वन मंडल कटनी के नाम पर जमानत के रूप में जमा करना होगा। यदि जमानत की राशि निर्धारित रूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी तो निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। स्वीकृत निविदाकारों की जमानत की राशि तब तक मुक्त नहीं की जावेगी, जब तक कि उक्त वाहन का निर्वर्तन पूर्ण रूप से न हो जावे। निविदाओं में विक्रय हेतु प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार है:-

वाहनों का विवरण

कं.	राजसात वाहन का प्रकार एवं पंजीयन कमांक	बयाने की राशि (बैंक ड्राफ्ट/ सी.डी.आर. के रूप में)	स्थान जहाँ वाहन खड़ा है
1	2	3	4
1	टाटा 407 ट्रक MP-21-C-7806	5000/-	खिरहनी डिपो परिक्षेत्र कटनी
2	ट्रक MP19HA2098	5000/-	वन परिक्षेत्र कम्पाउंड बरही
3	मारुती वेन MP-20-CC-4366	3000/-	निस्तार डिपो उमरियापान
4	ट्रक MP16H0787	5000/-	वन परिक्षेत्र कम्पाउंड बरही
5	ट्रक MP19HA3127	5000/-	वन परिक्षेत्र कम्पाउंड बरही

नोट:- निविदा फार्म एवं शर्तें विज्ञप्ति के दिवस से कार्यालयीन समय दोपहर 12:00 बजे तक रुपये 300/- नगद प्रस्तुत करने पर वन मंडलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। विस्तृत शर्तें वन विभाग की वेबसाइट www.mpforest.gov.in पर देखी जा सकती है।


वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल कटनी

कार्यालय वन मंडलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल कटनी

फोन नंबर 07622-227417 (कार्यालय), Email-dfotkatn@mp.gov.in
महाराणा प्रताप वार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 07, जबलपुर रोड, झिंझरी कटनी (म0प्र0) – 483501

(वन अपराध में जप्त किये गये एवं अंतिम रूप से राजसात वाहन की नीलामी हेतु निविदा शर्तें)

निविदा की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा फार्म निविदा शर्तें कार्यालयीन समय में वनमंडलाधिकारी कटनी के कार्यालय से निर्धारित राशि रुपये 300 (तीन सौ) प्रत्येक वाहन हेतु नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। वन मंडल कार्यालय से प्रथम चक्र की निविदा हेतु दिनांक 29.07.2025 दोपहर 12:00 बजे तक एवं द्वितीय चक्र की निविदा हेतु दिनांक 30.07.2025 दोपहर 12:00 बजे तक तथा तृतीय चक्र की निविदा हेतु दिनांक 31.07.2025 दोपहर 12:00 बजे तक फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं। फार्म की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। फार्म की राशि वापिस नहीं होगी।
2. **कार्य का नाम :-** सामान्य वन मंडल कटनी द्वारा राजसात वाहनों का निविदा द्वारा निर्वर्तन।
3. प्रत्येक वाहन हेतु निविदा के लिये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट सी.डी.आर. के रूप में पृथक-पृथक वाहनवार वनमण्डलाधिकारी कटनी के नाम पर जमानत के रूप में जमा करना होगा। यदि जमानत की राशि निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी तो निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। सफल निविदाकारों की जमानत की राशि तब तक मुक्त नहीं की जावेगी, जब तक कि उक्त वाहन का निर्वर्तन पूर्ण रूप से न हो जावे।
4. वाहनों का निरीक्षण जहाँ वे खड़े हैं, जिस हालत में हैं कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
5. वाहन जहाँ वे खड़े हैं, जिस हालत में हैं निर्वर्तित किया जावेगा। असफल निविदाकारों की जमानत राशि वापसी योग्य होगी। कार्यालय में उपलब्ध सूचना एवं निरीक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन/मशीनरी के मॉडल कम्पनी के नाम एवं मेक में कोई भिन्नता पाई जाती है तो विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अतः निविदा में भाग लेने के पूर्व वाहन का भलीभाँति निरीक्षण कर लेवें तथा संतोष होने के बाद ही निविदा में भाग लेवें। निविदा सफल होने के उपरांत इस तरह के विवाद अमान्य होंगे।
6. निर्वर्तन पश्चात् वाहनों के कागजात संबंधित R.T.O. कार्यालय से प्राप्त करने की कार्यवाही क्रेता द्वारा की जावेगी। वाहन कय पश्चात् वाहन नामांतरण की एवं अन्य कार्यवाही R.T.O. से क्रेता को स्वयं करनी होगी।
7. स्वीकृत निविदाकार को निविदा की सम्पूर्ण राशि समस्त कर सहित निविदा स्वीकृत के साथ कार्यालयीन दिवस में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर जमानत की राशि शासन के पक्ष में राजसात (Forfeit) की जावेगी तथा निविदा अस्वीकृत की जावेगी।

8. निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन की कीमत में काट-पीट पुर्नलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9. फार्म जमा करने एवं निविदा खोलने की तिथि
 - ✓ निविदा के प्रथम चक्र में फार्म जमा करने की निर्धारित दिनांक 29.07.2025 समय 01:00 बजे तक है। यदि दोपहर 01:00 बजे के पश्चात् कोई निविदाकार निविदा प्रस्तुत करता है अथवा प्राप्त होती है तो वह प्राप्त निविदा में शामिल नहीं की जावेगी तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 29.07.2025 को अपरान्ह 03:00 बजे कार्यालय सामान्य वन मंडल कटनी में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कय समिति द्वारा खोली जावेगी।
 - ✓ निविदा के द्वितीय चक्र में फार्म जमा करने की निर्धारित दिनांक 30.07.2025 समय 01:00 बजे तक है। यदि दोपहर 01:00 बजे के पश्चात् कोई निविदाकार निविदा प्रस्तुत करता है अथवा प्राप्त होती है तो वह प्राप्त निविदा में शामिल नहीं की जावेगी तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 30.07.2025 को अपरान्ह 03:00 बजे कार्यालय सामान्य वन मंडल कटनी में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कय समिति द्वारा खोली जावेगी।
 - ✓ निविदा के तृतीय चक्र में फार्म जमा करने की निर्धारित दिनांक 31.07.2025 समय 01:00 बजे तक है। यदि दोपहर 01:00 बजे के पश्चात् कोई निविदाकार निविदा प्रस्तुत करता है अथवा प्राप्त होती है तो वह प्राप्त निविदा में शामिल नहीं की जावेगी तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 31.07.2025 को अपरान्ह 03:00 बजे कार्यालय सामान्य वन मंडल कटनी में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कय समिति द्वारा खोली जावेगी।
10. निविदा प्रक्रिया के संबंध में समस्त अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निहित होंगी। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
11. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन मंडल अधिकारी कटनी को होगा।
12. निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में सम्पूर्ण शर्तें निविदाकार द्वारा स्वीकार की गईं ऐसा माना जावेगा। तथा शर्तों के विरुद्ध कोई विवाद मान्य नहीं किया जावेगा एवं निविदा फार्म के साथ शर्तों पर हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. एक निविदाकार एक ही नाम से एक से अधिक वाहनो हेतु निविदा फार्म प्रस्तुत कर सकता है।
14. निविदा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य कटनी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. निविदा अस्वीकृत की जावेगी –
 - (1) यदि निविदाकार निविदा के साथ वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई शर्त (Condition) लगाता है।
 - (2) यदि अंकों/शब्दों में कोई कांटछांट उपरिलेखन अथवा अंकों के योग करने में कोई त्रुटि होती है अथवा अंकों में एवं शब्दों में अंकित राशि में भिन्नता होती है।
 - (3) यदि राशि के अंकों के खुरचकर पुनः लेख किया गया है।
 - (4) यदि निविदा में निविदाकार के हस्ताक्षर न हो।
 - (5) निविदा पेन्सिल से भरी गई हो।
16. सफल निविदाकार को विक्रय राशि के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि भी देय होगी।
17. विका हुआ निविदा फार्म वापिस नहीं होगा।
उपरोक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

निविदाकार
हस्ताक्षर

नाम